

तारीख हुक्म	<p style="text-align: center;">हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज</p> <p style="text-align: center;">खुमाराम बनाम लो.सू.अ. (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर)</p> <p>सू.अ.अ. अपील संख्या 394/2021 व 01/2022</p>	<p>नं० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
18-04-2022	<p>अपीलार्थी खुमाराम पुत्र सोनाराम, पता मेहरियों की ढाणी कालीजाल तहसील लूणी जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 23.02.21 में (1) ग्राम कालीजाल तहसील लूणी में दिनांक 01.01.2015 से 31.08.2020 तक प्रोजेक्ट वाईज MP-LAD, MLA-LAD फण्ड स्कीम के तहत प्राप्त राशि व अन्य बिन्दु, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों.पक्ष (अपर जिला कलक्टर शहर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पों.पक्ष (अपर जिला कलक्टर शहर प्रथम जोधपुर) से रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने पर लोक सूचना अधिकारी कार्यालय से पत्रावली में की गई कार्यवाही की जांच की गई। उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी को प्रार्थना पत्र विधिक प्रकिया के तहत मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जोधपुर को जरिये पत्रांक 795 दिनांक 07.07.2021 को स्थानान्तरित किया गया तथा लोक सूचना अधिकारी (जिला परिषद जोधपुर) द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र जरिये पत्रांक 41306-7 दिनांक 16.07.2021 के जरिये विकास अधिकारी, पं.स. लूणी एवं ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत कालीजाल को स्थानान्तरित किया जा चुका है। चूंकि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय से संबंधित नहीं होने से इस कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी द्वारा विधिक प्रावधानों के तहत प्रार्थना पत्र संबंधित लोक सूचना अधिकारी (जिला परिषद जोधपुर) को स्थानान्तरित किया जा चुका है तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा संबंधित लोक सूचना अधिकारी (विकास अधिकारी पंचायत समिति लूणी एवं ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत कालीजाल) को स्थानान्तरित किया जा चुका है, यद्यपि लोक सूचना अधिकारी संबंधित विकास अधिकारी, पंचायत समिति का प्रथम अपीलीय अधिकारी जिला कलक्टर न होकर प्रधान पंचायत समिति है एवं संबंधित ग्राम विकास अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी जिला कलक्टर जोधपुर, न होकर सरपंच ग्राम पंचायत प्रथम अपीलीय अधिकारी है, अतः अपीलार्थी को उनके समक्ष अपील प्रस्तुत करनी चाहिए परन्तु प्रशासनिक स्तर पर विकास अधिकारी, पंचायत समिति लूणी एवं ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत कालीजाल को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना शीघ्र उपलब्ध करावे। उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p>	